डॉ० भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा

(पूर्ववर्ती: आगरा विश्वविद्यालय, आगरा)

पत्रांक : सम्ब0/1210/2026 दिनांक : 17 /04/2026

सेवा में,

प्राचार्य/प्राचार्या,
समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय,
डा० भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा।

विषयः "नारी शक्ति वंदन" कार्यक्रमों के आयोजन के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

उपर्युक्त विषयक, राज्यपाल सचिवालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पत्र संख्या ई–2396/32–जी. एस./2026 दिनांक 16 अप्रैल, 2026 (छायाप्रति संलग्न) के क्रम में आपको अवगत कराना है कि "नारी शक्ति वंदन" के दृष्टिगत दिनांक 16 अप्रैल, 2026 से 18 अप्रैल, 2026 तक विश्वविद्यालय एवं सम्बद्ध महाविद्यालयों में विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन के निर्देश प्रदान किए गए हैं।

अतः निर्देशित किया जाता है कि आपके महाविद्यालय द्वारा निम्नांकित कार्यक्रम अनिवार्य रूप से आयोजित कराए जाएं—

1. लोकसभा के विशेष सत्र (16–18 अप्रैल, 2026) का सजीव प्रसारण महाविद्यालय परिसर में प्रदर्शित किया जाए तथा अधिकाधिक छात्र–छात्राओं की सहभागिता सुनिश्चित की जाए।
2. "नारी शक्ति वंदन अधिनियम" विषय पर सेमिनार/चर्चा/जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएं।
3. "महिला नेतृत्व में विकास (Women&led Development)" विषय पर परिचर्चा आयोजित की जाए।
4. छात्राओं को STEM (विज्ञान, तकनीक, इंजीनियरिंग, गणित) के क्षेत्र में प्रोत्साहित करने हेतु कार्यशालाएं/प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएं।
5. ड्रोन/वोकेशनल प्रशिक्षण जैसे कौशल विकास कार्यक्रम संचालित किए जाएं।
6. महिलाओं के संवैधानिक अधिकार, सामाजिक न्याय एवं आरक्षण से संबंधित विशेषज्ञ व्याख्यान आयोजित किए जाएं।
7. महिला सुरक्षा से संबंधित प्रावधानों (जैसे ई–FIR आदि) पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएं।
8. विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली महिलाओं की सफलता गाथाओं का प्रदर्शन किया जाए।
9. जागरूकता साइकिल रैली का आयोजन किया जाए।
10. न्यूनतम 03 कि.मी. पदयात्रा आयोजित की जाए।
11. नुक्कड़ नाटक/लघु नाटक का मंचन कराया जाए।
12. वाद–विवाद/संवाद/सेमिनार आदि कार्यक्रम आयोजित किए जाएं।

Affixed

अतः आपसे अपेक्षा की जाती है कि उपर्युक्त समस्त कार्यक्रमों का आयोजन सुनिश्चित करते हुए उनकी विस्तृत आख्या (रिपोर्ट) फोटो एवं वीडियो सहित शीघ्रातिशीघ्र विश्वविद्यालय को मेल आई0डी0 mailtomonikasaxena@gmail.com उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, जिससे संकलित आख्या शासन/राज्यपाल सचिवालय को प्रेषित की जा सके।

यदि निर्धारित समयावधि में आख्या उपलब्ध नहीं कराई जाती है, तो उत्पन्न दायित्व के लिए संबंधित महाविद्यालय स्वयं उत्तरदायी होगा।

भवदीय,

कुलसचिव

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. प्रभारी, कुलपति सचिवालय – माननीय कुलपति जी के सूचनार्थ।
2. अधिष्ठाता छात्र कल्याण – इस आशय से कि समस्त संस्थानों में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करायें।
3. डॉ० मोनिका अस्थाना, स्कूल ऑफ लाइफ साइंस (नोडल अधिकारी, "नारी शक्ति वन्दन अधिनियम–प्रचार अभियान" – इस आशय से कि समस्त संस्थानों/महाविद्यालयों से समन्वय स्थापित करते हुए राज्यपाल सचिवालय के निर्देशों के क्रम में सूचना ससमय उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
4. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, आगरा – इस आशय से कि समस्त राजकीय/अनुदानित महाविद्यालयों में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करायें।
5. प्रभारी, वेबसाइट – सूचना को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर प्रदर्शित कराना सुनिश्चित करें।
6. उप–कुलसचिव – आवसीय इकाई।
7. अधिकृत एजेंसी – उक्त सूचना समस्त महाविद्यालयों के लॉगिन पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।
8. गार्ड फाइल।

कुलसचिव

AFsvlax